

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को० नगर ने 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रहमत अली पुत्र गुड्डन निवासी मुकुन्दरपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 107/22, 02. सत्यपाल पुत्र चन्द्रिका निवासी भिखारीपुर खुर्द सेमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 108/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लल्लू पुत्र बाबूराम नि०ग्राम केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 123/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती संगीता देवी पत्नी भदई निवासी तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 177/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने योग प्रशिक्षक आदर्श कुमार मिश्रा को किया सम्मानित:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित आयुष विभाग गोण्डा के योग प्रशिक्षक आदर्श कुमार मिश्रा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इन्होंने विगत माह 27 व 28 मई 2022 को 02 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण थाना करनैलगंज में शिविर लगाकर उपस्थित पुलिसकर्मियों को योगाभ्यास सिखाने के रूप में सफलता पूर्वक अपना योगदान दिया है। आयोजित योग शिविर में उपस्थित जवानों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु विभिन्न प्रकार के योगासनों जैसे- पद्मासन, वज्रासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन-, सूर्य नमस्कार, गोमुखासन, पश्चिमोत्तनासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, पवनमुक्तासन, नौकासन, शवासन, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन आदि योगों का अभ्यास कराया। इनका कार्य अत्यन्त सराहनीय व प्रशंसनीय रहा है।

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 22.06.2022

थाना तरबगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकथानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखवीर की सूचना पर सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ विडियो में वायरल अभियुक्त गोविन्द शरण को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गोविन्द शरण जायसवाल पुत्र स्व0 चन्द किशोर निवासी खोजनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-215/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 चन्द्रसेन वर्मा मय टीमा

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 22.06.2022

दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त योगेश कुमार सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी अमौठी थाना उमरीबेगमंज जनपद-गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 19.06.2022 को वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए मार पीट कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. योगेश कुमार सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी अमौठी थाना उमरीबेगमंज जनपद-गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-106/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 श्री सुशील कुमार सिंह मय टीमा